

खबर संक्षेप

विद्युत मंडल अमानगंज में मनमानी का आलम, कटौती से परेशान क्षेत्र सहित नगर की जनता



अमानगंज। नगर अमानगंज में विद्युत मंडल की मनमानी एवं तानाशाही से समूचे में जनता परेशान दिखाई दे रही है और विभाग में पदस्थ भ्रष्ट कर्मचारियों एवं अधिकारी अपनी मनमानी से विभाग चला रहे हैं भीषण उमस गर्मी में कारण विद्युत सप्लाई रोकना इन्वेस्ट अधिकारी एवं कर्मचारियों का शोक बना हुआ है जिसमें आम जनमानस का जीना मुश्किल हो गया है मनमाने बिल भेजना उपभोगताओं को मुसीबत में काम नहीं है वर्षों से जमा कर्मचारी अधिकारी अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं और जनता की परेशानी का कोई हल करने वाला नहीं है क्षेत्रीय विधायक से नगर की जनता ने समाचार पत्र के माध्यम से अमानगंज उद्योग मंडल की व्यवस्थाएं सुधारवाने की अपील समाचार पत्र के माध्यम से की है जिससे आम जनमानस को शासन की योजना का सुचारू रूप से लाभ मिल सके एवं सरकार पर भरोसा बना रहे।

बृहस्पति कुंड पर बनेगा मध्य प्रदेश का पहला शग्लास ब्रिज, करीब से जलप्रपात निहार सकेंगे टूरिस्ट, काम शुरू



पन्ना। पन्ना में स्थित बृहस्पति कुंड जल प्रपात पर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज बनने का रहा है. यह देश का तीसरा ग्लास ब्रिज कहलाएगा। जिला प्रशासन ने यहां पर ग्लास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था, जिसकी मंजूरी पूर्व में ही हो चुकी थी। अब टेंडर भी जारी हो गया है. ग्लास ब्रिज बनने से पर्यटक करीब से बृहस्पति कुंड को देख सकेंगे, प्राप्त जानकारी के अनुसार, बृहस्पति कुंड जलप्रपात पर बनने वाला भारत का तीसरा ग्लास ब्रिज कांच से बनाया जाएगा. जिसका टेंडर लगभग 3 करोड़ में हो चुका है और इंजीनियरों द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है। बता दें कि यह जमीन पर लगभग 18 फुट रहेगा और हवा में 11 फुट निकलेगा। इसमें लोगों को जाने के लिए सीमा निर्धारित होगी। करीब एक बार में 8 से 10 लोग ही हवा में निकले हुए हिस्से पर जा सकते हैं जो पूरी तरह से ग्लास का बना होगा।

देवेंद्रनगर क्षेत्र के निजी स्कूलों की मनमानी अभिभावकों की जेब पर पड़ रही भारी

पन्ना। शासन के आदेशों की खुलेआम धजिया उड़ा रहे देवेंद्रनगर क्षेत्र के निजी स्कूल संचालक प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों को पढ़ाई के अनुरूप अत्यधिक वसूल रहे फीस सरकार द्वारा पिछले माह हर स्कूल का पोर्टल में करायी गया था फीस का रेट निर्धारित अच्छी शिक्षा और बेहतर व्यवस्था के लिए अभिभावक महंगाई की मार से बेहाल हैं। दुकानदार और स्कूल प्रबंधकों के कमीशनखोरी अभिभावकों पर भारी पड़ रही है। निजी स्कूल संचालक पूरी तरह से मनमानी पर उतारू हैं। नया सत्र प्रारंभ होते ही यूनिफार्म, जूता, भोजन के साथ ही कितने और पाठ्यक्रम के नाम पर कमीशनखोरी का खेल शुरू हो गया है। स्कूलों के अंदर मन मुताबिक रेट पर छपवाकर कितने रखे लगे हैं और उन कितनों को स्कूल में रखकर बेची जा रही है सूत्र बयान इन शिक्षा माफिया के ऊपर होगी कार्यवाही स्कूलों की अगर उच्च स्तरीय जांच होगी तो कई स्कूलों पर हो सकती है कड़ी कार्यवाही कई ऐसे स्कूल की जो शासन के नियमों का नहीं कर रहे पालन न्या देखकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता दे दी गई यदि उच्च स्तरीय जांच होगी तो कई स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

सबसे ज्यादा केवायसी के प्रकरण का हुआ निपटारा ग्राम पंचायत की जनसुवाई में ग्रामीणों का दिखा उत्साह



पन्ना। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की पहल से आज मंगलवार के दिन अजयगढ़ के 65 ग्राम पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मागदर्शन में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुवाई का आयोजन किया गया। समर्थन संस्था ने भी 30 ग्राम पंचायत में 60 पंचायत मित्रों को सामाजिक सुरक्षा में आ रही समस्या को दूर करने में पंचायत को सहयोग करने एवं सामुदायिक को जानकारी देने में सहयोग किया गया। जनपद की सभी ग्राम पंचायत में जनसुवाई के प्रति उत्साह देखा गया एवं जमीनी अमला पूरे सतय तैनात रहा। जनपद स्तर की नॉडल टीम भी ग्राम पंचायतों में जाकर सहयोग किया। ग्राम पंचायत राजापुर के सचिव



ग्रामीणों ने कहा समय और पैसा दोनों बचेगा
मिठाईलाल, सहायक सचिव बाबू सिंह राजपूत एवं दिलीप अहिरवार ने हितग्राहियों को मदद की। ग्राम पंचायत राजापुर एवं नन्दनपुर में नवल किशोर पटेल पंचायत समन्वय अधिकारी ने जाकर देखा एवं टीम का उत्साह बर्धन किया और कहा की जनता को पंचायत में ही सभी सुविधा मिले इसके लिये हम सब मिलकर काम करेंगे। किसी पात्र परिवार को जनपद एवं जिले में न आना पड़े इसके लिये सरकार ने मंगलवार को ग्राम पंचायत में



हकदारों को योजना के लाभ के लिये भटकना नहीं पड़ेगा उनका समय और पैसा बचेगा। स्थानीय सरकार के रूप में पंचायत काम करेगी तो खुद स्वाशासन एवं गुड गवर्नेंस आयेगा। रनिया लोधी - लगभग 75 वर्ष ने कहा की हमारा काम गांव में ही गया हम बहुत खुस है। सचिव रामसरण पटेल एवं सहायक सचिव हीरालाल शर्मा ने कहा की हम नियमित पंचायत में काम करते। आज की जनसुवाई में समर्थन के 60 पंचायत मित्र एवं दीपक, फरीदा, विनीत द्विवेदी, मीत पटेल, विकास मिश्रा, लखन लाल शर्मा एवं ज्ञानेन्द्र तिवारी ने पंचायत एवं हितग्राहियों को मदद किया।

दया और करुणा की भावना रखें- बहन जी



पन्ना। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के उपलक्ष में ब्रह्माकुमारी विद्यालय पन्ना की ओर से स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर में डॉक्टरों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ वृक्षारोपण के साथ किया गया। बहन जी ने सभी डॉक्टरों का सम्मान करते हुए एवं शुभकामनाएं देते हुए तथा आज के दिन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। आप पर परिवार के साथ-साथ समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, डॉक्टर का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम देखते हैं कि 90: बीमारी मन के कमजोर होने से उत्पन्न होती है, मरीज की आधी से ज्यादा बीमारी डॉक्टर के स्नेहपूर्ण व्यवहार से ठीक हो जाती है तो डॉक्टर का तन को स्वस्थ रखने के साथ-साथ हमारे मन को ठीक रखने में भी महत्वपूर्ण स्थान है। हम एलोपैथी, होम्योपैथी अनेक तरह की दवाओं का प्रयोग करने के साथ-साथ सिम्पैथी का भी उपयोग करके सबका भला करें। ड्यूटी को सिर्फ ड्यूटी समझ कर नहीं परंतु अपना कर्तव्य समझ कर पूर्ण समर्पण भाव से निभाएं। मरीज को सिर्फ मरीज नहीं समझ कर वरन् अपनी फैमिली मेंबर समझकर दया एवं करुणा के साथ सेवाएं दें। धन के साथ-साथ दुआ भी कमाएं। कार्यक्रम में डॉक्टर अभिषेक जैन (सपनी) मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी (व्हाट्स) देवेंद्रनगर एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

दीक्षारंभ समारोह के दूसरे दिवस विद्यार्थियों ने पूरे परिसर का किया भ्रमण

पन्ना। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस के रूप में नामांकित छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में दीक्षारंभ समारोह के दूसरे दिन विभिन्न गतिविधियों का सफल आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संरक्षक डॉ. एस. पी. एस. परमार के सानिध्य में सरस्वती वंदना से हुआ। इस महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. पी. पी. मिश्रा ने शैक्षणिक विनियम एवं दिशा निर्देश के अंतर्गत विद्यार्थियों को बताया कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है कि शिक्षण संस्थाओं में अध्यक्षनरत युवा शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से सशक्त हों, ऊर्जावान हों, इसके साथ ही इन युवाओं में सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक प्रतिबद्धता मूल्यबोध एवं संस्कार विकसित हों और वे संवेदनशील भी हों ताकि ये युवा अध्ययनोपरान्त जब समाज में जाय तब अपना श्रेष्ठतम योगदान देते हुए मानवता की सेवा कर सकें। महाविद्यालय विश्व बैंक एवं रसा परियोजना, स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था, वचुअल कक्षा परियोजना, रैमैडियल कक्षाएं, कौशल विकास इत्यादि विभिन्न नवाचारों के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था प्रभावशाली हुई है। डॉ. आर. डी. साकेत एवं डॉ. अंकिता सोनी ने विद्यार्थियों को मिलने वाले विभिन्न छात्रवृत्तियों के अंतर्गत पोस्टग्रेजुएट छात्रवृत्ति, गांव की बेटे, प्रतिभा किरण, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के साथ साथ अन्य मिलने वाले छात्रवृत्ति के बारे में नवप्रवेशित छात्रों को अवगत कराया। महाविद्यालय के तीनों संकायों के



सभी विभागाध्यक्षों ने छात्रों द्वारा लिए जाने वाले विषयों के बारे में जानकारी दी। शिव गोपाल सिंह, डॉ. समीक्षा सिसोदिया व श्रीमती रचना गुप्ता ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय में संचालित विभिन्न प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं एवं डिजिटल संसाधनों से परिचय कराने के साथ साथ इनका भ्रमण भी कराया गया। डॉ. गुलबधर, डॉ. सत्यप्रकाश बेरेंड्या, श्री विपिन कुमार एवं श्रीमती अमिता सिन्हा ने उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को पुस्तकालय का भ्रमण कराया और उन्हें ई लाइब्रेरी, पुस्तकालय से संबंधित नियमों एवं योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ इसी वर्ष से प्रारंभ की गई विद्यार्थी पुस्तक सहायता केंद्र से अवगत कराया जहां से मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तकें क्रय की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं संयोजक डॉ. बी. एन. जायसवाल, सह संयोजक डॉ. सतीश त्रिपाठी एवं डॉ. पुष्पराज सिंह ने इस प्रकोष्ठ से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया एवं महाविद्यालय में स्थापित विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र का भ्रमण भी कराया। डॉ. एम. के. शुक्ला, श्री सिद्ध सिंह एवं स्पোর্ट्स ऑफिसर श्री धर्मेन्द्र यादव ने नव प्रवेशित छात्रों को विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डॉ. सचिन गोयल ने भारतीय परंपरा केंद्र प्रकोष्ठ का भ्रमण कराया और इसके महत्व के बारे में विद्यार्थियों को बताया। कार्यक्रम के मंच का कुशल संचालन डॉ. बी. एन. जायसवाल एवं डॉ. श्वेता ताम्रकार द्वारा किया गया। एवं आभार प्रदर्शन डॉ. धर्मेन्द्र यादव द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. एस. के. पटेल, डॉ. आर. एम. दत्ता, डॉ. जे. के. वर्मा, डॉ. विनय श्रीवास्तव, डॉ. आनंद चौरसिया, डॉ. पुष्कर सिंह, डॉ. रजनीश चौरसिया, डॉ. अरविंद मंडेलिया के साथ साथ महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ।

पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुलिस लाइन गाउण्ड पन्ना एवं चौकी परिसर बराछ में किया गया वृक्षारोपण

पन्ना। पुलिस मुख्यालय गोपाल की मंशालारूप पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्णा एस. थोटा द्वारा पन्ना जिले के समस्त पुलिस थानों/चौकियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 02 जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक पन्ना की उपस्थिति में पुलिस लाइन गाउण्ड पन्ना एवं चौकी परिसर बराछ में वृक्षारोपण किया गया। पुलिस लाइन पन्ना में



वृक्षारोपण हेतु छत्रसाल महाविद्यालय में हिन्दी विभाग की प्राध्यापिका श्रीमती उमा त्रिपाठी एवं उनकी बेटे ईश तिवारी द्वारा सहयोग स्वरूप 50 पीछे निजी व्यय पर उपलब्ध कराये गये। पुलिस चौकी परिसर बराछ में हुये वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा पुलिस चौकी निर्माण हेतु जमीन दान करने वाले जगदीश सिंह जागीरदार के पुत्र दूगपाल सिंह धंधेरे को सम्मानित किया गया। वृक्षारोपण के दौरान पुलिस लाइन गाउण्ड पन्ना में करीब 200 पीछे एवं पुलिस चौकी बराछ में 60 पीछे लगाये गये। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्णा एस. थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह, अनु. अधि. पुलिस पन्ना एस.पी. सिंह बटेल, अनु. अधि. पुलिस पवई श्री सीराम रत्नाकर, रक्षित निरीक्षक पन्ना खिलावन सिंह केंचर, थाना प्रभारी यातायात रक्षित निरीक्षक नीलम लक्ष्यकार, थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना निरीक्षक रंजित मिश्रा, निरीक्षक ज्योति सिकरवार, चौकी प्रभारी सकरिया सुबेदार संजय सिंह जादौन, प्रभारी सायबर सेल उमि अनिल सिंह राजपूत, चौकी प्रभारी बराछ सजिन शिखर मण्डल एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पन्ना और पुलिस लाइन का बल उपस्थित रहा। उपरोक्त सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी पुलिस अधीक्षक पन्ना की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया है।

पन्ना पुलिस द्वारा सलेहा थाना क्षेत्र में मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार

पन्ना। थाना सलेहा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खिरवाही से फरियादी के आँगन में खड़ी मोटर साइकिल रात्रि के समय चोरी करने वाले आरोपी जगतलाल कुशवाहा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर मानवीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा गया है। मामले में फरियादी नरेश आदित्याजी पिता उत्तम आदित्याजी निवासी खिरवाही द्वारा पुलिस को रिपोर्ट में बताया गया कि दिनांक 11 जून 2024 को रात में मैं अपने घर के आँगन में अपनी मोटर साइकिल रखकर सोया था। लेकिन जब सुबह जगा तो मोटर साइकिल नहीं थी कोई अज्ञात चोर रात में मोटर साइकिल चोरी कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सलेहा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 186/24 धारा 379 भादवि का



सोने के आभूषण वजन करीबन 25 ग्राम कीमती करीबन 1 लाख 80 हजार रुपए के हुए बरामद?

दुकान में घुसकर चोरी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

गुनौर। पन्ना पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस. थोटा के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में घंटित संपत्ति संबंधी अपराधों में खुलासा करने हेतु निर्देशित किया गया है। उसी तारतम्य में फरियादी रामादीन सोनी पिता पुरुषोत्तम सोनी उम्र 40 साल निवासी हरदाही रोड़ ग्राम गुनौर के द्वारा थाना गुनौर में उपस्थित होकर के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी ज्वेलरी की दुकान में घुसकर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दुकान के अंदर दराज में रखे सोने के आभूषण चोरी कर लिए हैं। घटना गंभीर एवं संवेदनशील पाए जाने से थाना प्रभारी द्वारा सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं पन्ना अधीक्षक के द्वारा घटना के गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी गुनौर को तत्परता के साथ घटना का खुलासा करने हेतु निर्देशित किया गया था। गुनौर पुलिस के द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए आवश्यक सक्ष्य जुटाए गए जिसके आधार पर एक संदेही नाबालिक बालक से घटना के संबंध में पूछताछ की गई जिसके द्वारा पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया है एवं चोरी किए गए सोने के आभूषण कुल वजन करीबन 25 ग्राम जिसकी कीमती करीबन एक



लाख अस्सी हजार रुपए के बरामद किए गए है। अपचारी नाबालिक को गिरफ्तार कर मानवीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां मानवीय न्यायालय के आदेश से अपचारी बालक को बाल संप्रेषण गृह छतरपुर भेज दिया गया है। पन्ना पुलिस अधीक्षक के द्वारा उत्साहवर्धन के लिए टीम को पुरस्कार करने की घोषणा की गई है।

पुलिस ने पकड़े रेत से भरे टैक्टर-ट्राली

पन्ना। पुलिस अधीक्षक पन्ना साईकृष्णा एस थोटा के निर्देशानुसार नगर में रेत से भरे टैक्टर-ट्राली द्वारा बड़े सबरे से धमा चौकडी मचाने वाले टैक्टर ट्राली से लोड रेत लिए हुए आम रास्तों को जाम करते हुए यातायात बाधित कर रहे है। मंदिर के रास्ते, स्कूल परिसर के सामने से निकलने पर छात्र-छात्राओं को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए इन अवैध रेत से भरे 9 वाहनों पर यातायात पुलिस की टीआई नीलम लक्ष्यकार ने इसे संज्ञान में लेते हुए 9 टैक्टरों को जब्त कर कानूनी कार्यवाही की गई। इनमें से कुछ टैक्टर अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के भी पकड़े गये। जिन्हें जब्त कर आगामी कार्यवाही के लिए खनिज विभाग को सौंपा है। अब देखा जाये है कि खनिज विभाग इस पर क्या कार्यवाही करता है।

मध्यप्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व आज से बंद, अब 1 अक्टूबर को खुलेंगे

पन्ना। मध्यप्रदेश के छह टाइगर रिजर्व में बांधवाड़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना और संजय धुवरी को 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में टाइगर सफारी जारी रहेगी। अब नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के कोर जोन में टूरिस्ट नहीं जा सकेंगे। नेशनल पार्कों और टाइगर रिजर्व में तीन महीने तक पर्यटकों के लिए यह पाबंदी लागू रहेगी।

खबर संक्षेप



शराब दुकान के कारण हो रही परेशानी

खतरपुर। शहर के बस स्टैंड के समीप स्थित महेश टॉकीज के बगल में शराब दुकान खुल जाने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मंगलवार को स्थानीय रहवासियों ने जनसुनवाई में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर समस्या हल कराने की मांग की है। स्थानीय रहवासी प्रकाश चंद जैन ने बताया कि महेश टॉकीज के पास खोली गई शराब दुकान पर दिन भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। दुकान से शराब खरीदने के बाद शराबी वहां बैठक शराब पीते हैं और फिर आतंक मचाते हैं, जिस कारण से आसपास दुकानें संचालित करने वाले व्यापारियों और परिवारों को भारी परेशानी हो रही है। हालात ऐसे हैं कि महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन शराबियों का आपस में झगड़ा होता है और वे एक दूसरे के साथ गाली-गलौज करते हैं। कलेक्टर और एसपी को आवेदन देकर लोगों ने समस्या हल कराने की मांग की है।

राजीनामा का दबाव बनाने की मारपीट



खतरपुर। बक्सवाहा थाना क्षेत्र के ग्राम भड़ोटेर निवासी युवक ने पिछले दिनों परिवार को एक युवती के साथ गांव के एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किए जाने का प्रकरण थाने में दर्ज कराया था। युवक का आरोप है कि इसी प्रकरण में राजीनामा का दबाव बनाने के लिए आरोपी के परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। मंगलवार को पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को फरियाद सुनाकर न्याय की गुहार लगाई है। भड़ोटेर निवासी मनोज लोधी ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के म. लोधी ने उसके परिवार की युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया था, जिसका रिपोर्ट बक्सवाहा थाने में दर्ज है और प्रकरण विचाराधीन है। मनोज के मुताबिक 30 जून को आरोपी के परिजन लल्लू, कल्ले, मच्छर, चंदू और भूरे लोधी के द्वारा उसे तथा उसकी मां गुड्डीबाई लोधी को पीटते हुए राजीनामा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मनोज ने बताया कि बलात्कार का आरोपी भी अभी फरार है। एसपी को आवेदन देकर मनोज ने सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कराने की मांग की है।

सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट



खतरपुर। बमीठा थाना अंतर्गत आने वाले चंद्रनगर कस्बे की साप्ताहिक हाट में एक व्यक्ति का सब्जी विक्रेता के साथ 20 रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि बाद में संबंधित व्यक्ति द्वारा सब्जी विक्रेता के साथ जमकर मारपीट की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसे संज्ञान में लेकर सब्जी विक्रेता की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चंद्रनगर के समीपी ग्राम भियांताल निवासी महेन्द्र अहिवार साप्ताहिक हाट में सब्जी की दुकान लगाए हुए था, तभी नीरज यादव नाम का युवक उसकी दुकान पर पहुंचा। महेन्द्र के मुताबिक नीरज पिछले सप्ताह उसकी दुकान से सब्जी लेकर गया था, जिसके 20 रुपए उधार थे।

आरोप : यात्रियों की शिकायत के बाद भी बसों में परिवहन विभाग नहीं कर रहा कार्यवाही

बसों में किराया सूची नहीं, यात्रियों से हो रही मनमानी वसूली

शहर में स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से खतरपुर, पलेरा, महोबा, झांसी, ईशानगर सहित अन्य स्थानों के लिए गुजरने वाली यात्री बसों में आरटीओ द्वारा सत्यापित कराया सूची चस्प नहीं है। जिसके चलते निजी बस संचालकों की मनमानी के आगे आम यात्रियों को बेबस होकर दोगुना किराया देने के बावजूद अपमानित होना पड़ रहा है।



किराए से अधिक किराया लेने पर बस ऑपरेटर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर ना तो जांच होती है और ना ही बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर उनके दस्तावेज आदि चेक किए जाते हैं, हैरानी

नौगांव। बस मालिकों ने देखरेख के लिए गुंडों, एजेंटों को पाल रखा है, यह यात्रियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। बेबस यात्री अपमान का घुंटा पीकर सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। बसों में दिव्यांग यात्रियों को भी किराए में रियायत नहीं मिल रही है। बस मालिकों ने अपनी इच्छा अनुसार किराए में वृद्धि कर वसूली में लगे हैं। खास बात तो यह है कि यात्रियों के द्वारा इस मामले में परिवहन विभाग सहित स्थानीय प्रशासन में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। परिवहन विभाग दावा करता है कि यात्रियों से तय

की बात तो यह है कि परिवहन विभाग द्वारा यहां ना यात्री बस का बीमा, परमिट, फिटनेस चेक किया जा रहा है ना ही बसों में किराया सूची चस्प है। अधिकांश बसों में आपातकालीन द्वार, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर और फायर किट भी मौजूद नहीं है। आरटीओ बस संचालकों की मनमानी को रोकने के लिए कोई टोस कार्यवाही भी नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते यात्रियों को जिसके चलते यात्री बस चालकों के हाथों लूटने को मजबूर हैं। नौगांव बस स्टैंड से रोजाना 100 से अधिक बसों का आवागमन होता है। जिसमें हजारों यात्री यात्रा कर अपने-अपने गांव शहर के लिए जाते हैं। यहां से रोजाना खतरपुर पलेरा हरपालपुर ईशानगर महोबा झांसी सहित अन्य शहर एवं गांव के लिए बसें चलती हैं। इन बसों में यात्रियों से मनमानी किराया वसूला जा रहा है। बस संचालकों द्वारा नियुक्त एजेंट मनमानी किराया वसूलते हैं। विरोध करने पर यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। इसके अलावा कंडक्टर और ड्राइवर ड्रेस भी नहीं पहनते हैं, जिससे कई बार यात्रियों को असुविधा का भी सामना करना पड़ता है।

इनका कहना है

बसों की जांच के लिए टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी। विक्रमजीत सिंह कंग आरटीओ, परिवहन विभाग खतरपुर

सागर की टीम ने जांच में गड़बड़ी पाई थी, जांच के बाद उपसचिव भोपाल ने की बड़ी कार्यवाही

उद्योग विभाग के प्लाट आवंटन में गड़बड़ी के मामले में महाप्रबंधक और प्रबंधक निलंबित

खतरपुर।



गड़बड़ी सामने आयी। इसी गड़बड़ी के चलते महाप्रबंधक एवं प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। चन्द्रपुरा की उद्योग विभाग की जमीन के आवंटन में हुई गड़बड़ी का मामला जब विधानसभा में गुंजा तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग हरकत में आ गया। तत्काल संयुक्त संचालक परिशेत्रीय उद्योग कार्यालय सागर

गई जो नियम विरुद्ध है। इतना ही नहीं नियमों को ताक पर रखकर भूमि हस्तांतरण भी कराया गया। न्यायालय से स्थान के बाद भी उक्त दोनों अधिकारियों की मनमानी जारी रही। पार्क हेतु आरक्षित भूमि पर निजी व्यक्तियों का कब्जा पाया गया। उपसचिव मप्र शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने महाप्रबंधक एवं प्रभारी प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। श्रीप्रकाश मिश्रा को निलंबित कर उनका मुख्यालय श्योपुर निर्धारित किया गया है जबकि महाप्रबंधक आशुतोष गुप्ता को सिंगरौली अटैच किया गया है। शासन की इस कार्यवाही से उन लोगों ने राहत की सांस ली है जिनके भूखण्डों में हेरफेर किया जा रहा था साथ ही घोर अनियमितताओं पर विराम भी लग गया है।

तहसील में 6 लाख रुपये में 1 साल के लिए नीलाम हुई तालगूड मंदिर में लगी कृषि भूमि

लवकुशनगर। नगर के चौरसिया मोहल्ला स्थित रामजानकी तालगूड मंदिर में लगी 23.650 हे. कृषि भूमि लवकुशनगर मौजा में स्थित है। इस भूमि की नीलामी एक वर्ष के लिए खेती करने के लिए तहसील लवकुशनगर में की जाती है। पिछले वर्ष इस भूमि की नीलामी 5 लाख इक्यासी हजार रुपये में हुई थी। बोली लगाने में प्रवीण रिछारिया और जितेंद्र द्विवेदी शामिल हुए पहली बोली में 100- 100 रुपए बढ़ाए गए। इसके बाद जीतेंद्र द्विवेदी ने 5 लाख 85 हजार रु बढ़ाए वही प्रवीण रिछारिया ने 5 लाख 90 हजार रु बढ़ा दिए। इसके बाद जीतेंद्र द्विवेदी ने 5 लाख 95 हजार रु बढ़ा दिए और आखिर में प्रवीण रिछारिया ने 6 लाख की बोली लगाकर भूमि को एक साल के लिए अपने नाम करा लिया। और इस बार यह भूमि बढ़कर 6 लाख रुपये में प्रशासन की तरफ से 1 साल के लिए विक्रय की गई। बोली लगाने वालों में प्रवीण रिछारिया और जीतेंद्र कुमार द्विवेदी के बीच बोली लगाने की प्रतिस्पर्धा देखी गई। जिसमें प्रवीण रिछारिया द्वारा 6 लाख रुपये की अधिकतम बोली लगाकर नीलामी में एक साल के लिए खेती करने के लिए यह भूमि प्राप्त की गई। पिछले वर्ष भी यह भूमि प्रवीण रिछारिया को प्राप्त हुई थी।

नौगांव जनपद की ग्राम पंचायत लहादरा का मामला मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा पंचायत में काम, महानगरों में पलायन के लिए मजबूर



सरपंच, सचिव पंचायत काम मशीनों से करा रहे, कमीशन के चक्कर में अधिकारियों की आखें बंद ? नौगांव। नौगांव जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत लहादरा में शासन की गांव में ही मजदूरों को रोजगार देने और पलायन को रोकने के उद्देश्य से चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, पंचायत में चल रहे विकास कार्य मानवश्रम से न करा कर मशीनरी से कराए जा रहे हैं जिसके चलते ग्रामीणों को गांव में काम न मिलने के कारण शहरों में पलायन को मजबूर है, तो वहीं पंचायत द्वारा मशीन से कार्य कराकर शासन की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। ग्राम पंचायत लहादरा सरपंच गुलाब कुंवर यादव और सचिव बिहारी अहिवार एवं पंचायत के प्रभारी उपयंत्री सहित अधिकारियों के द्वारा मजदूरों का गांव में रोजगार न देकर गांव में होने वाले विकास कार्य मशीनों से कराए जा रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार को लहादरा ग्राम पंचायत के ग्राम बारबई में तालाब की जेसीबी से खुदाई हो रही थी। जिसका ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ एकत्रित होकर विरोध किया और जागरूक लोगों को मौके पर मशीनरी से कराए जा रहे हैं जिसके चलते सरपंच सचिव ने जेसीबी मशीन को मौके से हटा लिया। जिसके साक्ष्य अभी भी मौके पर मौजूद है। 15वें वित्त और मनरेगा की राशि का हो रहा बंदरबाद - ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव द्वारा ग्रामीणों को रोजगार न देकर मशीनों से काम कराया जाता है एवं सरपंच अपने चहेतों के नाम फर्जी मस्टर भरकर मनरेगा की राशि का गबन कर रहे हैं। 15 वें वित्त और मनरेगा की राशि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा फर्जी रूप से ठिकाने लगाई जा रही है। ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव में रोजगार न मिलने से हमारे परिवार के सदस्य दिल्ली, पंजाब मजदूरी करने जाते हैं और कुछ लोग हरपालपुर इत्यादि शहर में काम करने जाते हैं। बारबई ग्राम की बेवा महिला ने बताया कि सरपंच सचिव को कई बार आवास के लिए दस्तावेज दिए लेकिन आज तक न तो आवास योजना का लाभ मिला और न ही ग्राम पंचायत में मजदूरी करने करने को मिली है पति न होने के कारण अन्य शहर में बच्चों को छोड़कर मजदूरी भी नहीं करने जा सकते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव के साथ - साथ मॉनिटरिंग करने वाले जनपद एवं जिला के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं - शासन द्वारा ग्रामीणों को गांव में रोजगार एवं विकास कार्य कराने के लिए पूरी तरह से संजीदा है, शासन द्वारा गांव में ही रोजगार के लिए विभिन्न विकास कार्य मजदूरों से कराए जाने के प्रावधान हैं, और इसका कानून भी बना है। लेकिन गांव के सरपंच एवं सचिव कार्यों को मजदूरों से न कराकर मशीनों से कराने पर ज्यादा बल देते हैं। इसमें ज्यादातर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव के साथ - साथ मॉनिटरिंग करने वाले जनपद एवं जिला के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। जिसके चलते गांव के सरपंच एवं सचिव मजदूरों से कार्य न कराकर मशीनों से कार्य कराते हुए शासन की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, और ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं। इनका कहना है ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार देने और पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, यदि ग्रामीणों को गांव में रोजगार न देकर मशीनों से काम कराया जा रहा है, तो जांच कर कार्रवाई करेंगे डॉक्टर हरीश केशवानी प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नौगांव

करने जाते हैं। बारबई ग्राम की बेवा महिला ने बताया कि सरपंच सचिव को कई बार आवास के लिए दस्तावेज दिए लेकिन आज तक न तो आवास योजना का लाभ मिला और न ही ग्राम पंचायत में मजदूरी करने करने को मिली है पति न होने के कारण अन्य शहर में बच्चों को छोड़कर मजदूरी भी नहीं करने जा सकते हैं।



स्कूल वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर 21,000/- रुपये जमा कराया समन शुल्क

सिंगरौली। श्रीमती निवेदिता गुप्ता (भापुरे) पुलिस अधीक्षक महोदया सिंगरौली के निर्देशन में एवं श्री शिव कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली, एवं श्री पी.एस. परस्ते, नगर पुलिस अधीक्षक विन्ध्यनगर के मार्गदर्शन में स्कूल वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों की जागरूकता हेतु लगातार यातायात प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तारतम्य में आज दिनांक 02.07.2024 को स्कूली बच्चों के सुरक्षित एवं सुगम परिवहन हेतु यातायात पुलिस द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अलग-अलग टीमों लगाई जाकर स्कूलों से अनुबंधित वाहनों के विरुद्ध शासन द्वारा स्कूल बसों हेतु जारी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने के कारण 34 स्कूल वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर 21,000/- रुपये समन शुल्क जमा कराया गया है। स्कूल वाहनों वाहनों द्वारा स्कूली बच्चों के परिवहन एवं स्कूल बसों हेतु निर्धारित की गई गाइड लाइन एवं निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर अभियान



चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, स्कूली वाहनों पर उक्त कार्यवाही लगातार जारी रहेगी सिंगरौली पुलिस समस्त अशासकीय एवं शासकीय स्कूल प्रबंधन एवं बस आपरेटो से अपील करती है, कि स्कूली बच्चों के परिवहन संबंधी शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वाहनों के दस्तावेज एवं स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करें उन अभिषेक पाण्डेय, सउनि सुरेश शुक्ला, सउनि हॉमिद खॉन, प्रआर 18 पुष्पेन्द्र, प्रआर उमेश बागरी, प्रआर नंदकिशोर, आर प्रताप तिवारी एवं अन्य समस्त यातायात स्टॉप की सराहनीय योगदान रहा।

बागेश्वर धाम धार्मिक स्थलों पर चैन स्नैचिंग करने वाली महिलाओं को गिरोह पकड़ा भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं में दर्ज हुआ मामला

खतरपुर। धार्मिक स्थलों पर चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाली महिलाओं के गिरोह को बमीठा थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि एक दिन पूर्व थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें फरियादी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं में मामला दर्ज किया गया और इसके बाद घटना करित करने वाले गिरोह को पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक अजय जैन ने बताया कि सोमवार को नवी मंडई निवासी रश्मि शर्मा पत्नी गौतम शर्मा उम्र 31 वर्ष ने बमीठा थाना में शिकायत करते हुए बताया था कि वह अपने पति के साथ बागेश्वर धाम आई हुई थी, जहां मंदिर परिसर के समीप कनरीब आधा दर्जन महिलाओं ने उसे घेर लिया और बातों में उलझाकर उसके गले से सोने की चेन खींच ली, चेन में सोने का पींडल भी था। रश्मि शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता का धारा 112(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया और जांच शुरु की। विवेचना के दौरान पुलिस ने 7 महिलाओं को बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में चैन स्नैचिंग करना स्वीकार किया। एसपी श्री जैन ने बताया कि पकड़ी गई महिलाओं का यह गिरोह बागेश्वर धाम सहित देश के अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देता था। एसपी अजय जैन ने बताया कि देश-विदेश की लोगों की आस्था का केन्द्र बन चुके बागेश्वर धाम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम की सुरक्षा हेतु पीपचर्यू से अतिरिक्त फोर्स मिला है।

समस्त थाना चौकी क्षेत्रों में आयोजित किये जा रहे जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम

सिंगरौली। देशभर में 1 जुलाई से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गये हैं। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ नागरिक भी नए कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब पर एनिमेशन वीडियो और शॉर्ट फिल्म अपलोड की गई हैं। इसके अलावा सिंगरौली पुलिस के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जागरूकता संबंधी पोस्ट की जा रही हैं। सभी थानों में पोस्टर एवं बैनर लगाए गए हैं, जिसमें नए कानूनों को समझाया जा रहा है। जिले में मुख्यालय, अनुभाग, थानों, चौकी में वेबीनार एवं सेमिनार के माध्यम से पांडितों को सुलभ और तुरंत व्यापक दिलाने के लिए जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को



प्रशिक्षित किया है। थाना प्रभारी, अनुसंधानकर्ता, ऑपरेटर के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए गए थे। पुराने कानूनों के आधार पर विवेचना करते आए अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानूनों से अवगत करने के लिए प्रशिक्षण शालाओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन जौन से लेकर थाना

एवं चौकी स्तर तक किया गया। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस की अध्यक्षता में नवीन अपराधिक अधिनियम के क्रियाव्ययन हेतु निरंतर प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की जाती रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया में प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु सिंगरौली पुलिस द्वारा जनसंदेश भी जारी किया गया है। साथ ही नवीन अपराधिक अधिनियम में जागरूकता हेतु जनसंवाद के कार्यक्रम समस्त थाना चौकीयों में आयोजित किये जा रहे हैं। कलेक्टर, श्री चन्देश्वर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक, श्रीमती निवेदिता गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा थाना कोतवाली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर उपस्थित लोगों को नया भारत नया विधान के बारे में पूरी जानकारी दी और उपस्थित गणमान्य नागरिकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

खबर संक्षेप

किशोरी ने कर ली आत्महत्या



रीवा। जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र में रिश्ते के भाई के साथ प्रेम संबंध में एक किशोरी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, परिजनों का कहना है कि वह रिश्ते के भाई से प्रेम करती थी तो दूसरी ओर पुलिस गुरुशुद्धी के मामले में किशोरी को पार के ही गांव से दस्तयाब किया था। नौबस्ता चौकी प्रभारी अंकिता मिश्रा ने बताया कि किशोरी के गुरुशुद्धी की शिकायत चोरहटा थाने में 28 जून को दर्ज कराई गई थी दूसरे दिन पुलिस ने किशोरी को नौबस्ता चौकी क्षेत्र से दस्तयाब किया था, 17 वर्षीय किशोरी जब अपने घर पहुंची तो उसी दिन उसने जहर का सेवन कर लिया जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसकी एक जुलाई को मौत हो गई इधर परिजनों का कहना है कि रिश्ते के भाई के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था लेकिन इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी वहीं दोनों के बीच विवाह होना भी संभव नहीं था पुलिस के द्वारा जब किशोरी को परिजनों के सुपुर्द किया गया तो वह घर पहुंची और जहर का सेवन कर लि, किशोरी की मौत होने के बाद संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है जहां मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

अब तक 62.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
रीवा। जिले में दो जुलाई को 12.2 मिलीमीटर दैनिक वर्षा दर्ज की गई। इस दिन जिले में सर्वाधिक सिरमौर में 30 मिलीमीटर तथा गुड़ में 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जिले में एक जून से अब तक 62.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस संबंध में अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि इस अवधि में तहसील हजूर में 126.3 मिलीमीटर, रायपुर कचुलियान में 15 मिलीमीटर, गुड़ में 57 मिलीमीटर, सिरमौर में 81.4 मिलीमीटर, त्योंथ में 36 मिलीमीटर, सेमरिया में 95 मिलीमीटर, मनगवां में 29 मिलीमीटर तथा जवा तहसील में 61 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 73.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1044.6 मिलीमीटर है।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित
मऊगंज। जिले में वर्षाकाल के दौरान जल भरवा, पानी निकासी, बाढ़ की स्थिति पर निगरानी रखने तथा राहत एवं सहायता तथा बाढ़ राहत प्रबंधन हेतु जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट मऊगंज में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी को बनाया गया है। उनका मोबाइल नंबर 799859590 है। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में सुबह की पाली में प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक अरूण इंगला मोबाइल नंबर 9713602131 एवं कौशलेंद्र सिंह मोबाइल नंबर 9179822952 को नियुक्त किया है। जबकि दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय मोबाइल नंबर 8827857848 तथा रामलखन द्विवेदी मोबाइल नंबर 8827937530 की ड्यूटी लगायी है। इसी प्रकार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सुरपाल चौहान मोबाइल नंबर 7898704949 एवं वीरेन्द्र कुमार मिश्र मोबाइल नंबर 9553385226 को नियुक्त किया गया है। रिजर्व के तौर पर उमेशचन्द्र हतागले मोबाइल नंबर 8982178085 तथा प्रेमलाल हरिजन मोबाइल नंबर 9755460196 रहेंगे। कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में दैनिक जानकारी पंजी में संधारित कर अपर कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर को प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं।

टीआरएस कालेज में दीक्षारंभ समारोह का दूसरा दिन

नव प्रवेशित छात्रों को कम्प्यूटर, लैब व संसाधन की दी जानकारी



शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा प्राचार्य डॉ. अर्पिता अतस्थी के निर्देशन में दीक्षारंभ समारोह के दूसरे दिन के कार्यक्रम आयोजित किये गये।

रीवा

दूसरे दिन के प्रथम वक्ता प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल ने छात्रों को महाविद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हुए अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह तथा लाल पद्मधर सिंह के देश प्रेम के बारे में बताया। व्याख्यान के दूसरे दिश में डॉ. शुक्ल ने युवक रेडक्रास की गतिविधियों से छात्रों को परिचित कराते हुए

बताया कि रेडक्रास इकाई अपातकालीन गतिविधियों स्वस्थ सुरक्षा शिक्षा स्वयं सेवा के अक्सर नेतृत्व विकास सामाजिक चेतना और नैतिकता तथा मानवीय सहायता के संबंध छात्रों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करती है। रेडक्रास इकाई छात्रों के शारीरिक विकास मानसिक स्वास्थ्य शैक्षिक प्रदर्शन गतिविधियों में भागीदारी आत्म विश्वास अच्छी जीवन शैली अपनाने पर जोर देती है। कार्यक्रम के संयोजक अच्युत

पाण्डेय द्वारा छात्रों को कैरियर परामर्श एवं प्लेसमेंट के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में रोजगार कैम्पस आयोजित किये जाते हैं जिसके माध्यम से छात्रों का प्लेसमेंट कराया जाता है। डॉ. एस.पी. सिंह ने छात्रों को शैक्षणिक विनियम और दिशा निर्देश तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्तियों के संबंध में विस्तार

से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में नव प्रवेशित छात्रों को प्रयोगशालाय कम्प्यूटर लैब युवा संसाधन केन्द्र का अवलोकन तथा पाठ्यपत्र गतिविधियों से परिचित कराया गया। कार्यक्रम के अन्त में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया जिसमें छात्रों के प्रश्नों का समाधान किया गया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक डॉ. अच्युत पाण्डेय तथा आभार प्रदर्शन डॉ. नागेश त्रिपाठी के द्वारा किया गया।

रीवा में एक दिवसीय बैंक लोन सौंदर्यीकरण अभियान का संचालन शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हो रही लगातार कार्यवाही



रीवा।

स्वच्छ भारत मिशन 2024 के अंतर्गत नगर पालिक निगम रीवा में एक दिवसीय बैंक लोन सौंदर्यीकरण अभियान का संचालन शहर के वार्ड क्र. 06, 15, 26, 33 एवं 42 में किया गया। जिसमें नागरिकों द्वारा बैंक लोन सौंदर्यीकरण के लिये श्रमदान किया गया साथ ही बैंक लोन में रंगोली, क्रिकेट आदि अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस अभियान में जीएस ब्राइस्ट स्कूल, त्रिपुरा शंकर पब्लिक स्कूल, रोज पेटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, वेदांता पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उक्त अभियान में आईईसी टीम, स्कूल के कर्मचारी, छात्र, छात्राएं एवं नागरिकाण शामिल रहे।



रीवा। शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण पर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के निदेशानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 02.07.2024 को कार्यपालन यंत्री एचके त्रिपाठी एवं सहायक यंत्री अम्बरीश सिंह के नेतृत्व में सिरमौर चौराहा से कालेज चौराहा तक अवैध रूप से रखी गई



दर्जनों गोमतियों को हटाने की कार्यवाही की गई। उक्त गोमतियों के कारण प्रमुख मार्ग अवरूद्ध होता था एवं आवागमन हेतु आमजन को समस्या का सामना करना पड़ता था। उक्त गोमतियों को अतिक्रमणकारियों द्वारा जमाकर रखा गया था जिसको जेसीबी की मदद से उखाड़ कर अतिक्रमण प्रभारी सुबेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा गोमतियों के जपती की कार्यवाही की गई। साथ ही समझाइस दी गई कि पुनरावृत्ति किये जाने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। पीके स्कूल के सामने प्रिंस गार्मेंट्स और कंचन ड्रेस के द्वारा दुकान के सामने सड़क पटरी पर गाड़ियां खड़ी करवा कर यातायात बाधित किया जा रहा था जिसे अतिक्रमण प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर वाहन हटाये जाने हेतु कहा गया। समझाइस के बाद भी सुधार

नहीं होने पर गाड़ियों को क्रैन की मदद से हटवाते हुए दुकानदारों के ऊपर रुपये 2000 की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही सिरमौर चौराहा से हास्पिटल चौराहा एवं जयस्तंभ तक एवं शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर सड़क पटरी पर किये गये अस्थायी अतिक्रमण को खाली कराया गया। उक्त कार्यवाही में अतिक्रमण प्रभारी के साथ अतिक्रमण दल मौजूद रहा।

जन सुनवाई में अपर कलेक्टर विकास ने की 120 आवेदन पत्रों में सुनवाई



रीवा

कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित जन सुनवाई में अपर कलेक्टर विकास डॉ. सौरभ सोनवणे ने आमजनता के 120 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सात दिवस में आवेदन पत्रों का निराकरण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सीमांकन, जमीन से अवैध कब्जा हटाने, पेंशन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति, नक्शा तस्रीम, हैण्डपंप लगाने, उपचार सहायता सहित विभिन्न विभागों से संबंधित

आवेदन प्राप्त हुए। संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय तथा नायब तहसीलदार विन्ध्या मिश्रा ने भी आमजनता के आवेदनों में सुनवाई की। जन सुनवाई में वीरेन्द्र मिश्रा निवासी भटिंगवां ने उनके घर के पास अवैध रूप से खोदे गए नाले को बंद कराने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम जवा को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। रामगोपाल यादव निवासी टीकर ने जमीन के स्वामित्व के संबंध में तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश का पालन

ने एसडीएम हजूर को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। जन सुनवाई में रमाशंकर गौतम निवासी ग्राम बजरा ने सीमांकन के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। मीकूलाल साकेत निवासी डाडी टोला सरई ने हरिजन बस्ती में हैण्डपंप लगाने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री पीएचई को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। उमाशंकर मिश्रा निवासी सगरा ने खसरे में कूट रचना करके जमीन में किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम हजूर को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। रमाकांत पाण्डेय निवासी नौबस्ता ने सीमेंट प्लांट द्वारा अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा देने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम हजूर को आवेदन में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। बाबूलाल कोल तथा ग्राम बेलवा पैकान के 20 निवासियों ने 50 घरों की बस्ती का आम रास्ता रोकने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम मनगवां को मौके पर कार्यवाही कर आम रास्ता को खुलवाने के निर्देश दिए।

अधिकारियों की निष्क्रियता से जनप्रतिनिधि कर रहे धरना प्रदर्शन

मऊगंज। मऊगंज जिला अस्तित्व में आए लगभग एक वर्ष हो रहे हैं, किंतु यहां के अधिकारी/ कर्मचारी पुराने ढर्रे में ही चल रहे हैं। ज्यादातर कार्यालय में अधिकारी/ कर्मचारी 12:00 बजे तक आते हैं, और 4:00 बजे तक रहते हैं। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा कार्यालय खुलने का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक का आदेश दिया गया है, लेकिन यहां आदेश का पालन नहीं किया जाता। ज्यादातर अधिकारी/कर्मचारी रीवा में रहते हैं जिससे अधिकारी हफ्ते में दो-तीन दिन ही उपस्थित रहते हैं। जिले में कलेक्टर की नियुक्ति एक वर्ष होने को हो गया किंतु यहां के अधिकारी/कर्मचारियों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। दस दिन पहले यहां के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल द्वारा जनता के मुद्दों को लेकर सहकारिता विभाग में रात भर बैठ रहे। इसी तरह भाजपा की ही जनपद पंचायत मऊगंज की अध्यक्ष नीलम सिंह अपने जनपद सदस्यों के साथ पीएचई विभाग एवं जन शिक्षा केंद्र मऊगंज में अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को लेकर गईं, लेकिन अधिकारियों/कर्मचारियों के न होने के कारण धरने में बैठ गईं। जनपद सभागार में 28 जून को सामान्य प्रशासन की बैठक की गई थी, जिसमें



सभी विभागों के अधिकारी को उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, जनता की समस्या को समस्याओं के बारे में चर्चा की जानी थी। किंतु किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठक में नहीं पहुंचे, इसलिए हम अपने सदस्यों को लेकर पीएचई विभाग एवं जन शिक्षा केंद्र मऊगंज पहुंची लेकिन अधिकारी/ कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं मिले, जिससे अब हम लोग कलेक्टर से मिलेंगे।

दीक्षारंभ कार्यक्रम में महाविद्यालय में संचालित योजनाओं एवं पाठ्यक्रमों की दी गई जानकारी

मऊगंज। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एव्सोलेस शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में 2 जुलाई को नव प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिप्रेरण कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर छात्र- छात्राओं को महाविद्यालय की छात्रवृत्ति प्रणारी डॉ. भजन राम मौर्य द्वारा महाविद्यालय में संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, मेधावी छात्र योजना, एवं संबल योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। महाविद्यालय के सभी विषय के विभागाध्यक्षों ने अपने विषय एवं पाठ्यक्रम की नवीनतम जानकारी छात्रों के सामने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात छात्र- छात्राओं को भूगोल, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, मूलभूत शास्त्र की प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय का भ्रमण कराया गया। संबंधित विषय के प्राध्यापकों ने प्रयोगशाला में उपस्थित उपकरणों एवं डिजिटल संसाधनों के विषय में छात्रों को अवगत कराया। क्रीड़ा विभाग की जानकारी क्रीडाधिकारी डॉ. बृजकांत साकेत के द्वारा दी गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आलोक कुमार राय ने बताया कि अभिप्रेरण कार्यक्रम का समापन 3 जुलाई 2024 को होगा है। जिसमें सभी नवप्रवेशित छात्र- छात्राओं को महाविद्यालय की शेष गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. भजन राम मौर्य, डॉ. महाबन्ध द्विवेदी, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. विवेक कुमार पटेल, प्रो. अनवर खान, प्रो. उमेश कुमार सोनी, डॉ. दिनेश प्रसाद पटेल, डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, डॉ. प्रकाश चंद्र पटेल, डॉ. प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, डॉ. नारायण दत्त त्रिपाठी, श्री प्रकाश कुमार पांडेय सहित सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री अजीश सिंह ने किया।



नागरिक केंद्रित कानून सबके लिये समान न्याय

मऊगंज। बदेरा थाना परिसर में भारतीय लोकतंत्र को अपने मूल में रखने वाले नए आपराधिक कानून अधिक नागरिक केंद्रित बनने की दिशा में बदलाव 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन आपराधिक कानून हो रहे लावू। थाना परिसर में किया गया समस्त विभाग के अधिकारियों व बदेरा क्षेत्र के गणमान नागरिकों एवं सरपंचों की उपस्थित रहे। मेजर जिले के एडिशनल एसपी नुकेश कुमार वैस, बदेरा टी आई आदित्य कुमार सेन, ए एस आई अजय सिंह परिहार एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। एडिशनल एसपी नुकेश कुमार वैस के द्वारा 1 जुलाई 2024 से होने वाले फेर बदलाव पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। नागरिक बिना किसी देरी के पुलिस द्वारा अपनी एकआईआर की एक नि:शुल्क प्रति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए एवं पुलिस को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में पॉइंट को सूचित करना आवश्यक है। पॉइंट को मेडिकल जांच करने की सहमति से और अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर की जायेगी। BNS की धारा 184 (6) के तहत मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा 7 दिनों के भीतर भेजी जायेगी। नागरिकों को मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार (e-FIR), बिना उस क्षेत्र पर विचार किए जहां अपराध किया गया है, FIR दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। पॉइंट नागरिकों को मुक्त चिकित्सा उपचार और मुआवजे का अधिकार के साथसाथ संरक्षण योजना का प्रावधान किया गया है। नागरिकों को अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए अपना स्वयं का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अभियोजन से हटने के लिए सहमति देने से पहले न्यायालयों को पॉइंट की बात सुनने का अधिकार दिया गया है। पॉइंट को एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने तथा उसे 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। गवाहों को धमकियों और मय से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की गई।

